

ग्राम पंचायत औरन्ध बि०ख० सुल्तानगंज (मैनपुरी)

रजनीश राजपूत

नवासी-घाब भवन, पोस्ट जगतपुर

मैनपुरी मोबाइल नं. 9410045244

पत्रांक १२

दिनांक २०-०२-२०२१

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है की दिनांक 21-02-2021 को ग्राम पंचायत औरन्ध की एक अति आवश्यक बैठक संख्या 190 में कायम सिंह कॉलेज खसरा न० 3285, 3299, 3300, 3303, औरन्ध मैनपुरी ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है। अतः यह कॉलेज ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के कारण भवन मानचित्र सत्यापन हेतु कोई भी प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त न होने के कारण भवन मानचित्र का अनुमोदन ग्राम प्रधान द्वारा ही किया जाना संभव है। जिसके संदर्भ में प्रबन्धक हरिदर्शन सिंह द्वारा दिनांक 10-02-2021 को प्रार्थना पत्र आया तदोपरांत 21-02-2021 को मेरे द्वारा निरीक्षण किया गया।

निरीक्षणोपरांत 21-02-2021 को मेरे द्वारा सहर्ष भवन मानचित्र को अनुमोदन किया गया। यह भवन खसरा न० 3285, 3299, 3300, 3303 में कुल 8420 वर्ग मी. (90537.65 वर्ग फुट) भूमि जो कि राजस्व अभिलेखों में नर्सिंग कॉलेज के नाम दर्ज है जिस पर 3454.76 वर्ग मी. (57147.95 वर्ग फुट) भूमि पर कॉलेज संकाय हेतु निर्माण कार्य कराया गया है तथा यह निर्माण कार्य पूर्ण रूप से वैध है।



जिला पंचायत मैनपुरी उत्तर प्रदेश

पत्र - मैनपुरी / अरं ० अरं ० ३०/२०११/०१

दिनांक - १/०२/२०११

प्रमाणित किया जाता है कि रामबेटी चैरिटेबिल ट्रस्ट शिवनगर गली न-02, जिला अस्पताल के पीछे मैनपुरी उत्तर प्रदेश 205001 के द्वारा कायम सिंह फार्मसी कॉलेज औरन्ध मैनपुरी उत्तर प्रदेश के संचालन हेतु नक्शा जिला पंचायत को प्रस्तुत किया है वह जिला पंचायत के मानकों के अनुरूप है।

1- प्रमाणित नक्शा ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत औरन्ध जिला पंचायत मैनपुरी के अंतर्गत आता है।

2- प्रमाणित क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई अवरुद्ध नदी, नहर रेलवे लाइन, शमसान तथा किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है।

तदोपरांत खसरा संख्या 3300/0.101, 3285/0.668, 3299/0.045 एवं 3303/0.028 कुल क्षेत्रफल 0.842 हे० तथा अकृषक घोषित करने तथा उक्त भूमि पर नियमानुसार किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य के लिए वादी अधिकृत है तथा उक्त नंबरों पर संस्था को निर्माण कार्य के लिए अधिकृत करते हैं उपरोक्त तथ्यों को ध्यानार्थ रखते हुए ग्राम औरन्ध में स्थित भूमि पर किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं है तथा वादी को निर्देशित किया जाता है कि उक्त भूमि पर निर्माण कार्य नियमानुसार मानचित्र स्वीकृति के उपरांत शैक्षणिक कार्य के लिए निर्माण हेतु अधिकृत किया जाता है।

अभिषेता जिला पंचायत

मैनपुरी उत्तर प्रदेश

